

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.नि.स./2023/1464

दिनांक : 13/07/2023

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु

प्रतियोगी परीक्षा, 2023

- 1- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) [Junior Personal Assistant (English)] के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाइन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रुपये **23,700/-** (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे-स्केल रु. **33,800-1,06,700/-** संदेय होगा।

विशेष नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
- (2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएँ अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा या/और किसी भी स्तर पर उसकी अथ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation) :-

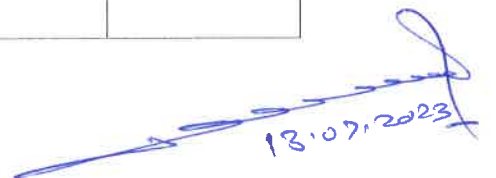
Category-wise backlog vacancies (प्रवर्गवार बैकलॉग रिक्तियाँ) :-

SC	ST	TOTAL
09 out of which 01 vacancy is reserved for Ex-Serviceman	06	15

Category-wise Current vacancies (प्रवर्गवार वर्तमान रिक्तियाँ) :-

UNRESERVED	EWS	SC	ST	OBC-NCL	MBC-NCL	Total Vacancies
17 out of which 05 posts are reserved for women and 02 for Ex-Servicemen	04 out of which 01 post is reserved for women	07 out of which 02 posts are reserved for women	05 out of which 01 post is reserved for women	09 out of which 02 posts are reserved for women and 01 Ex-Servicemen	02	44

HORIZONTAL RESERVATION				Total
Persons with Benchmark Disabilities				
B/LV	D/HH	LD	AUT & MD	
	-	01	01	02


13.07.2023

Category-wise total vacancies (प्रवर्गवार कुल रिक्तियाँ) :-

UNRESERVED	EWS	SC	ST	OBC-NCL	MBC-NCL	Total Vacancies
17	04	16	11	09	02	59

नोट:-

- उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापित/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार आरक्षित सूची (Reserve List) भी तैयार की जा सकेगी।
- सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय, विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत से अनधिक, अतिरिक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर, अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी किया जा सकेगा।

3- विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:-

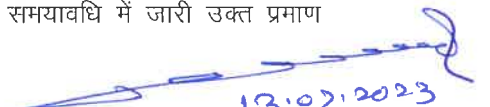
- महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न-विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध** क्षैतिज (Horizontal against categorywise vacancies) रूप से होगा।
- दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरुद्ध** क्षैतिज (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध** क्षैतिज (Horizontal against categorywise vacancies) रूप से होगा।
- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
- सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रिमीलेयर एवं नॉन क्रिमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्गों (क्रिमीलेयर एवं नॉन क्रिमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

4- विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में:-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण-पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.08.2023 है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 02.08.2022 से 02.08.2023 की समयावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 02.08.2020 से 01.08.2022 की समयावधि में एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र पेश करने पर दिनांक 02.08.2020 से 01.08.2022 की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा।


13.07.2023